फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भंवरसिंह | विपक्षी :– श्री कन्ना

किस्म मुकदमा :– 175 आरटीएक्ट | पत्रावली संख्या :– **225 / 18**

जीसीएमएस नम्बर :– 2018 / 00461

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 18.05.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में वादी को दिनांक 17.06.2025, 19.08.2025, 18.09.2025, 16.10.2025, 11.12.2025, 23.12.2025, 03.02.2026, 23.03.2026 से आदेशित किया जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक प्रतिवादी संख्या 1 की वारिस कायमी नहीं करवाई गई। पत्रावली वर्ष 2018 से तलबी एवं वारिस कायमी में लम्बित चली आ रही है। अधिवक्ता वादी को इतनी बार आदेशित किए जाने के बावजूद भी वारिस कायमी नही करवाई गई, जिससे यही जाहिर होता है कि वादी एवं उनके अधिवक्ता अपने मामले की पैरवी करने में गम्भीर नही है एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। अतः न्यायालय द्वारा पिछले लगभग 1 वर्ष से बार–बार आदेशित किए जाने के बावजूद भी वादी एवं उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की वारिस कायमी कराने में असफल रहने पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया। (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	